सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 52वीं बैठक दिनाँक 17 फरवरी, 2023 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 52वीं बैठक दिनाँक 17 फरवरी, 2023 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:—

1. डा0 के0के0 सिंह, कुलपति — **अध्यक्ष**
2. डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली। — **सदस्य**
3. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर — **सदस्य**
4. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री — **सदस्य**
5. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक — **सदस्य**
6. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
7. डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
8. डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
9. डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन, उ0प्र0, लखनऊ। (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
10. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक — **सचिव**

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्या 52.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 52.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनाँक 06 दिसम्बर, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर मा0 सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 प्रबन्ध परिषद की 51वीं बैठक दिनांक 06.12.2022 के बिन्दु संख्या–51.7 पर डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय को सेवानिवृत्ति उपरांत कोविड–19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में आवास किराये में मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन उपरांत दी गयी शिथिलता के संदर्भ में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या 2536/67–कृशिअ–22–500(9)/10 दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से आख्या चाही गयी है कि डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को आवास किराये में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद को किस नियमावली के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त पत्र में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाउस एलोटमेन्ट के विषय में दायर की गयी एक पी0आई0एल0 में दिये गये अत्यन्त सख्त निर्णय/Direction

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

डा0 के.के. सिंह
कुलपति

Issue का भी उल्लेख किया गया है। जिसके सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्य श्री मनोहर सिहं तोमर, प्रगतिशील कृषक एवं श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि कोविडकाल में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप था तथा बाहर निकलने में मनाही थी। इसके अतिरिक्त डा0 फग्गन सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक द्वारा आवास को जबरन नही कब्जाया गया था। बल्कि विश्वविद्यालय में कई आवास रिक्त थे। अतः इस प्रकरण पर विधिक राय लेते हुए शासन के उपर्युक्त पत्र में इंगित पी0आई0एल0 के परीक्षणोपरांत उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया जाये। जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाहीः अध्यक्ष, विधिक समिति / प्रभारी अधिकारी, परिसम्पत्ति / कुलसचिव / वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 52.3— विद्वत परिषद की 86वीं बैठक दिनांक 19.01.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 86वीं बैठक दिनांक 19 जनवरी, 2023 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 86वीं बैठक दिनांक 19.01.2023 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया।

साथ ही मा0 सदस्यों द्वारा कृषिकोश पोर्टल पर नियमित रूप से थीसिस अपलोड करने के सम्बन्ध में कहा गया तथा इसके साथ—साथ शोधगंगा पोर्टल पर भी थीसिस अपलोड हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव / अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

डा० के.के. सिंह
कुलपति

1. शैक्षणिक सत्र 2023–24 से शुगरकेन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी महाविद्यालय को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालय हेतु तभी एडमिशन प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी जब उसके लिए पदों की स्वीकृति प्राप्त हो जाये।

(कार्यवाही: कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/ओ0एस0डी0, शुगरकेन महाविद्यालय)

2. विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 86वीं बैठक दिनांक 19.01.2023 के संकल्प संख्या–9 से 14 तक पर विभिन्न एम0ओ0यू0 के दृष्टिगत डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय होने के दृष्टिगत एन0डी0आर0आई0, करनाल से भी एम0ओ0यू0 (MOU) किया जाना उपयुक्त होगा। इस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

3. डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में बेस्ट डिग्री दिये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जाये, जो विभागवार की जाये एवं अवार्ड के मानकों में थीसिस को भी सम्मिलित किया जाये। इसपर डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक आई0सी0ए0आर0 सहमति व्यक्त की। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

कराया गया कि संदर्भित पर कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर को निर्देशित किया जा चुका है।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर)

प्रस्ताव संख्याः 52.4— **डा0 लोकेश कुमार गंगवार, प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने के संबंध में।**

डा0 लोकेश कुमार गंगवार, प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) कृषि महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में दिनांक 24.03.2005 से 10.09.2013 तक विषय वस्तु विशेषज्ञ/सहायक प्राध्यापक (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) के पद पर रहे, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सामान्य मद में स्वीकृत पर तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा प्रेषित विवरण के अनुसार दिनांक 11.09.2013 से 23.07.2018 तक सह प्राध्यापक, (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) के पद पर की गयी सेवा को पेंशन आगणन हेतु अर्ह सेवा के निमित आगणित किये जाने पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्याः 52.5— **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 10.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन**

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 10.02.2023 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः—

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

1. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, हापुड़ की जमीन के समतलीकरण के सम्बन्ध में पुनः कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर कार्यवाही की जा रही है एवं इसपर काफी सुधार किया जा चुका है।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रसार)

2. डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा कार्यालय से गैर हाजिर रहने वाले कार्मिकों के संदर्भ में अवगत कराया गया कि प्रदेश में कई विभागों द्वारा मास्टर ऐप तैयार किये गये है, जिसमें कार्मिकों की उपिस्थिति एवं लोकेशन इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी की प्रविष्टि रहती है। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर बायोमैट्रिक मशीनों के माध्यम से कार्मिकों की उपस्थिति दर्ज होती है। साथ ही अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों की कक्षाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जा चुके है एवं उसकी मॉनिटरिंग स्वयं उनके द्वारा की जा रही है।
3. मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 20 मार्च, 2023 में मा0 राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में महिला उद्यमियों हेतु एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसपर श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, सचिव/वित्त नियन्त्रक द्वारा बैठक में मौजूद डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली एवं श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री को उक्त में मेले में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रसार)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 52.6– **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज ऑफ टैक्नालॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिए फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब एक्यूपमैन्ट आदि के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2242713/2022–कृशिअ–67–1002(099)/4/2022 दिनांक 09 फरवरी, 2023 द्वारा रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए शासनादेश के बिन्दु संख्या–9 पर इंगित किया गया है कि **''धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।''** के संदर्भ में सम्बन्धित प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

जिसपर वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज ऑफ टैक्नालॉजी एवं इसकी वर्कशॉप के लिए फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब एक्यूपमैन्ट आदि को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत क्रय किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता, तकनीकी महाविद्यालय / कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 52.7– **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज ऑफ शुगरकेन टैक्नालॉजी के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2293542/2023–कृशिअ–67–1002(003)/1/2023 दिनांक 14 फरवरी, 2023 के द्वारा रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए शासनादेश के बिन्दु संख्या–4 पर इंगित किया गया है कि **"धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।"** के संदर्भ में सम्बन्धित प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

जिसपर वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कॉलेज ऑफ शुगरकेन टैक्नालॉजी के संचालन हेतु फर्नीचर एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्थापना एवं क्रय से सम्बन्धी कार्य किये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः ओ0एस0डी0, शुगरकेन महाविद्यालय /कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा०के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ

प्रस्ताव संख्या: 52.8– **विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (CAS) अनुमन्य किये जाने हेतु किये जाने वाले मूल्यांकन/साक्षात्कार के लिए चयन समिति/स्क्रीनिंग कम एवेलुएसन कमेटी के प्रपत्रों के सम्बन्ध में।**

माननीय प्रबन्ध परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 31.01.2015 के प्रस्ताव संख्या 28.7 द्वारा विद्वत परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 02.01.2015 द्वारा पारित संकल्प संख्या–09 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (CAS) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में लागू प्रपत्र एवं स्कोर कार्ड के अनुसार अनुमन्य की जा रही है। उक्त प्रपत्रों में चयन समिति/स्क्रीनिंग कम इवेलुएसन कमेटी द्वारा Internal Evaluation Committee द्वारा प्रेषित किये गये स्क्रीनिंग प्रपत्र पर ही पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य करने के संबंध में सहमति/असहमति प्रदान की जाती थी। उक्त के संबंध में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा दूरभाष पर वार्ता में यह अवगत कराया गया कि चयन समिति/स्क्रीनिंग कम इवेलुएसन कमेटी द्वारा कोई अलग से प्रपत्र का प्रयोग साक्षात्कार/मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता हैं। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या द्वारा चयन समिति के लिए निर्धारित प्रपत्र में साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित है।

इस सम्बन्ध में यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (CAS) के लिये निर्धारित Appendix -III Table-II (A) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने वाले वेतनमान एवं पदनाम हेतु चयन समिति/स्क्रीनिंग कम इवेलुएसन प्रस्तुत प्रपत्रों पर किये

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति

जाने की मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए मा0 सदस्यों द्वारा प्रशंसा भी व्यक्त की गयी।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 52.9– **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा विज्ञापन संख्या VII/2021, विज्ञापन संख्या I/2022 एवं विज्ञापन संख्या II/2022 के माध्यम से विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 55/2023–कृशिअ–67–500(19)/13 दिनांक 03 फरवरी, 2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या VII/2021 द्वारा सहायक प्राध्यापक के 51 पद विज्ञापित, विज्ञापन संख्या I/2022 द्वारा सह प्राध्यापक के 25 पद विज्ञापित तथा विज्ञापन संख्या II/2022 द्वारा प्राध्यापक के 17 विज्ञापित पदों सहित समस्त कुल 93 पदों के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इसके आलोक में यथाआवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए उपर्युक्त पदों पर पुनः शीघ्र विज्ञापन विज्ञापित कराने हेतु अभिमत व्यक्त किया गया। साथ ही मा0 सदस्यों द्वारा यह भी विचार व्यक्त किया गया कि पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से पुनः विज्ञापन होने पर आवेदन–शुल्क न वसूला जाये। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त करते हुए यह भी आश्वासन दिया गया कि उपर्युक्त पदों के पुनः विज्ञापन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं/अन्य

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
...वि.वि. मेरठ

योग्यताओं/स्कोर कार्ड इत्यादि पर पुनः गहनतापूर्वक परीक्षण करते हुए विज्ञापन विज्ञापित कराये जायेगें।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 52.10– **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट/आख्या को मा0 प्रबन्ध परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। जिसपर श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक, श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर एवं डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या–02 के सम्बन्ध में अभिमत व्यक्त किया गया कि वैज्ञानिक/विषय वस्तु विशेषज्ञ (टी–6)/प्रक्षेत्र प्रबंधक/ कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार/कार्यक्रम सहायक संवर्ग (वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड–पे रू0 4200 से अधिक) के स्टाफ एक जनपद में पूरे सेवाकाल में अधिकतम 10 वर्ष तक तैनात रह सकते है, परंतु इस प्रतिबंध के साथ कि उपर्युक्त संवर्ग के कार्मिकों को एक जनपद में निरन्तर 6 वर्ष से अधिक की तैनाती नही दी जानी चाहिए, जिसपर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पति–पत्नी दोनों के विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर सेवा में होने की स्थिति में दोनों को एक ही जनपद में तैनात करने पर भी सहमति व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कृषि विज्ञान केन्द्रों के

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति

वैज्ञानिकों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति पर सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रसार/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/ कुलसचिव)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः—

1. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि मेरठ जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्र को फूलों की खेती पर कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। जबकि मेरठ जनपद को गन्ने की खेती के कार्यों हेतु चयनित किया जाना उपयुक्त होता। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के चिरौड़ी फार्म को गन्ने की पौध हेतु तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा Bud Planting के माध्यम से सीड तैयार कराना लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

(कार्यवाहीः निदेशक शोध)

2. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों के पदोन्नति के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा आवश्वस्त किया गया कि इसपर उ0प्र0 शासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों पर समुचित कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ मा0 कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति

अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य कराने के लिए भी शासन से पत्राचार किया जायेगा।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण / कुलसचिव)

3. मा0 सदस्यों द्वारा आपसी सहमति उपरांत यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हेतु भी विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण / कुलसचिव)

4. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के रिक्त पदों को भी विज्ञापित करने हेतु कहा गया, जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण / कुलसचिव)

5. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर से दौराला कस्बे को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है, जिससे सम्बन्धित प्रपत्र भी उनके द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद को अवलोकित कराया गया। जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गयी।

6. डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय में आई0सी0ए0आर0 से प्राप्त होने वाली डेवलेपमेन्ट ग्रान्ट के सम्बन्ध में जानकारी

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० के.के. सिंह

चाही गयी। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि आई0सी0ए0आर0 से इस बार रू0 45.00 लाख मात्र की धनराशि ही डेवलेपमेन्ट ग्रान्ट के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है। जिसपर डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को इस वित्तीय वर्ष में और ग्रांट निर्गत करने हेतु प्रयास किया जायेगा।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

7. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियन्त्रक द्वारा डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/वैज्ञानिकों के सातवें वेतनमान के बकाया एरियर के 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली एवं 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान उ0प्र0 शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसपर उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा अपने 50 प्रतिशत की धनराशि के भुगतान के उपरांत ही उ0प्र0 शासन द्वारा बकाया 50 प्रतिशत के एरियर की धनराशि निर्गत की जा सकती है। डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली द्वारा इस पर प्रयास करने हेतु आश्वस्त किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

डा० के.के. सिंह

8. डा0 अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ एवं डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/शिक्षकों से मानदेय/नियत वेतन पर शिक्षण कार्य/अन्य कार्य कराने हेतु विश्वविद्यालय स्तर से बनाने पर विचार करने के लिए कहा गयां जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में नीति बनाते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

9. डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा उ0प्र0 शासन एवं विभिन्न संस्थाओं की पशुपालन के क्षेत्र में चलायी जा रही विभिन्न स्कीमों के बारें में अवगत कराया गया एवं उ0प्र0 कुक्कुट विकास परियोजना–2013 एवं उ0प्र0 कुक्कुट विकास परियोजना–2022 के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन द्वारा अनुरोध किया गया कि इन विषयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन किया जाना उपयुक्त होगा, जिसमें मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाये। इसपर श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा इस प्रकार के सेमिनार के आयोजनों पर प्रशंसा व्यक्त की गयी।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय/कुलसचिव)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प.कृषि एवं प्रौ.वि.वि. मेरठ

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

20/02/23

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

20/02/23

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

डा० के.के. सिंह
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि, मेरठ